भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 661

दिनांक 17.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

सौर ऊर्जा पंप आधारित जल आपूर्ति योजनाएं

661. श्रीमती अम्बिका सोनीः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राज्य-वार और जिला-वार सौर ऊर्जा पंप पर आधारित कितनी-कितनी जल आपूर्ति योजनाएं काम कर रही हैं;

(ख) देश में विशेष रूप से पंजाब में कितनी बस्तियों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और कितनी बस्तियों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इनके क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश के अन्य भागों में सोलर आधारित पंप जलापूर्ति किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय अलग से कोई सौर ऊर्जा आधारित पंप जल आपूर्ति स्कीम की व्यवस्था नहीं करता है। तथापि, इससे पहले वर्ष 2012-13 और 2014-15 में इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) की सहायता से 10 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओड़ीशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है ताकि इन राज्यों के सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों वाली नल जलापूर्ति की संस्थापना की जा सके। इसके अलावा, राज्यों को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सौर ऊर्जा आधारित पंप वाली जलापूर्ति की संस्थापना हेतु वर्ष 2016-17 में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई थी। सौर पंप स्कीमों की अद्यतन संख्या का राज्यवार संकलन किया जा रहा है और राज्यों से इसकी प्राप्ति के बाद इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) पंजाब राज्य में कवर की गई बसावटों की संख्या का संकलन किया जा रहा है और इनकी प्राप्ति के बाद इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) प्रारंभ में विनिर्देश तैयार करने, बोलीकर्त्ताओं की क्षमता और संविदा की प्रक्रिया आदि से संबंधित कुछ तकनीकी मुद्दें राज्यों द्वारा सूचित किए गए थे। तथापि, समय के साथ-साथ राज्यों द्वारा इन चुनौतियों को दूर कर लिया गया।

(घ) एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत, सौर ऊर्जा आधारित स्कीमों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने हाल ही में नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉरमिंग इंडिया) आयोग द्वारा चिह्नित 117 आकांक्षी जिलों में 'स्वजल' कार्यक्रम शुरू किया है। स्वजल की कल्पना एक सामुदायिक मांग आधारित, एकल ग्राम, विशेषकर सौर ऊर्जा द्वारा चालित नलजल आपूर्ति वाली स्कीम के रूप में की गई है। इसके वित्तपोषण को एनआरडीडब्ल्यूपी के "फ्लेक्सी फंड" के अंतर्गत रखा गया है जिसमें राज्य, केन्द्र तथा राज्य दोनों द्वारा जमा की गई कुल निधि का 5% उपयोग कर सकते हैं।